PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the Public that the title deeds executed in the favour of the AMPIN Evolution Private Limited (formerly known as AMP Solar Evolution Private Limited) ("AMPIN EVOLUTION") for the property as mentioned in the table below have been lost/ misplaced. All persons are hereby informed not to deal or carry out any transaction with anyone on the basis of the said missing document. If anyone has already carried out or being carried out kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned addressed within 7 days from this present.

S.no	Seller/(Lessor)	Purchaser / Lessee	Survey No.	Village	Type	Document No.
1	Sukai S/o Ram Prasad	AMP Solar Evolution Pvt. Ltd.	505, 511, 512	Pakra Devariya	Sale Deed	9323/2021
2	Amrit Lal S/o. Parshuram	AMP Solar Evolution Pvt. Ltd.	517Min	Pakra Devariya	Lease Deed	1772/2023
3	Badlu Khan S/o. Rajak	AMP Solar Evolution Pvt. Ltd.	904, 906, 909	Karounda	Sale Deed	7223/2021
4	Seeta Ram, Vidhya Ram, Kripa Ram, Nanku Sons of Mangal Prasad	AMP Solar Evolution Pvt. Ltd.	898	Karounda	Sale Deed	7782/2021
5	Dinesh Kumar Mishra S/o. Govardhan	AMP Solar Evolution Pvt. Ltd.	904, 906, 909	Karounda	Sale Deed	9183/2021
6	Bhulai Khan S/o. Shakur Khan	AMP Solar Evolution Pvt. Ltd.	903	Karounda	Sale Deed	9322/2021
7	Pushpa Devi, Rajesh Kumar Mishra, Suresh Kumar	AMP Solar Evolution Pvt. Ltd.	904, 906, 909	Karounda	Lease Deed	6812/2021
8	Molhe S/o Hasanu	AMP Solar Evolution Pvt. Ltd.	905, 908	Karounda	Lease Deed	6414/2021
9	Dukhiram S/o. Prahladi	AMP Solar Evolution Pvt. Ltd.	913 Min	Aswa Mohammadpur	Lease Deed	11966/2025
10	Sonpal, Omkar, Lalit, Ashutosh, Naresh, Lalshree,	AMP Solar Evolution Pvt. Ltd.	207 ME	Gopalpur Taa Thathiyura	Sale Deed	7707/2021

Place : Delhi — Address – AMPIN EVOLUTION PRIVATE LIMITED
Date: 22-10-2026 — 309, RECTANGLE ONE, SAKET DISTRICT CENTRE, SAKET DELHI

सार्वजनिक सूचना
जबकि नीचे वर्णित मामला,
नामतः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत मध्यस्थता याचिका,
माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है
(न्यायालयः अमित बोरकर जे.)
बॉम्बे उच्च न्यायालय
साधारण मूल दीवानी क्षेत्राधिकार में
वाणिज्यिक विवाचन याचिका संख्या 749 / 2025
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ...याचिकादाता

बनाम
मैसर्स विजिल्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड
सुश्री आरती आरती
श्री निशांत निशांत ....प्रतिवादीगण

सेवा में,
1. मैसर्स विजिल्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड
पताः मकान नंबर 30, सेक्टर 9, बसई चौक के पास, हरियाणा, गुड़गांव – 122001
ईमेलः info.vigles@gmail.com
2. सुश्री आरती आरती, मेसर्स विजिल्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक
पताः मकान नंबर 30, सेक्टर 9, बसई चौक के पास, हरियाणा, गुड़गांव–122001
अन्य पता : द्वितीय तल, दुकान नंबर 300, दीपक कॉम्प्लेक्स, एम जी रोड, सुखराली, गुड़गांव, हरियाणा122001.
तथा कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 230, सेक्टर 9 रोड, बसई चौक, हरियाणा – 122001
3. श्री निशांत निशांत
सह–कर्जदार
पताः मकान नंबर 30, बसई (50), बसई, हरियाणा, गुड़गांव –122006
अन्य पता : 601 / 22, शिवाजी पार्क, खांडसा रोड, गुड़गांव, हरियाणा –122001 ....प्रतिवादीगण

और जबकि, तत्र भवान ने आदेश दिनांकित 15–10–2026 द्वारा, प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से प्रतिवादी (प्रतिवादीगण) को समाचारपत्र प्रकाशन सेवा जारी करने का अनुग्रह किया है।

तदनुसार, एतद्द्वारा **प्रतिवादी संख्या 1,2 और 3** को उपरोक्त आदेश पर ध्यान देने और उपरोक्त मामले में **माननीय न्यायमूर्ति अमित बोरकर जे.** के समक्ष **30 अक्टूबर, 2026** को तथा अथवा उसके बाद जब भी मामला इस मामले की सुनवाई कर रहे माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हो, या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता जो मूल पक्ष, उच्च न्यायालय, बॉम्बे में अभ्यास करने के हकदार हैं, के माध्यम से, पेश होने / उपस्थित होने की मांग की जाती है।

प्रतिवादी (प्रतिवादीगण) को एतद्द्वारा कार्यवाही और **आदेश दिनांकित 1 अक्टूबर, 2026 से मिली अति–अंतरिम राहत** पर ध्यान देने की मांग की जाती है, जिसके तहत **प्रतिवादी (प्रतिवादीगण) को शपथ लेकर अपने सभी बैंक खाते और सभी चल और अचल संपत्ति और आस्तियों की जानकारी, साथ ही उन पर किसी भी तरह के ऋणभार की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।** कृपया ध्यान दें कि यदि आपकी ओर से कोई स्वयं आकर या आपके द्वारा सम्यक् प्राधिकृत और अनुदेशित उच्च न्यायालय, बॉम्बे का अधिवक्ता पेश नहीं होता है, तो उपरोक्त मामले की सुनवाई और निर्णय, आपको और कोई सूचना दिए बिना, आपकी अनुपस्थिति में किया जा सकता है।

आदेश दिनांकित 15 अक्टूबर, 2026 के क्रम और अनुपालन में।

दिनांक : 22–10–2026
स्थान : गुरूग्राम
याचिकादाता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
शाखा कार्यालयः- एचपी को-ऑप बैंक के निकट, काला-अम्ब, नाहन, जिला सिरमौर, हि.प्र.-173030

शुद्धिपत्र - ई-नीलामी बिक्री सूचना

यह **दिनांक 19.10.2026** को **बिजनेस स्टैंडर्ड** (अंग्रेजी एवं हिंदी) में प्रकाशित **ई-नीलामी बिक्री सूचना**, जो **दिनांक 28.10.2026** के लिए निर्धारित थी, के संदर्भ में है।

काला अम्ब शाखा के कर्जदार - **श्रीमती दीपिका गोयल**, पत्नी श्री रवि गोयल की **ई-नीलामी की तिथि एवं समय** को **28.10.2026 को अपराह्न 02:00 बजे** से **शाम 06:00 बजे** के स्थान पर **07.11.2026 को अपराह्न 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक** पढ़ा जाए। अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

तारीखः 21.10.2026 — अधिकृत अधिकारी
स्थानः काला अम्ब (हि.प्र.)

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल मोहम्मद सद्दाम पुत्र श्री फरमूद, जिन्होंने गांव दिचाऊं कलां, दिल्ली, कॉलोनी दिचाऊं एन्कलेव, नजफगढ़, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति संख्या 37, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 125/18 के बिक्री विलेख दिनांक 23.06.2026 दस्तावेज संख्या 2026/17/I/1075 के अनुसार मालिक होने और उस पर कब्जा होने का दावा किया है। अब उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए एयू बैंक फाइनेंस लिमिटेड से संपर्क किया है और इसलिए उन्हें उक्त बैंक के पास गिरवी रखा जाएगा। मैं यह सार्वजनिक सूचना दे रहा हूँ कि बिक्री विलेख दिनांक 23.06.2026 दस्तावेज संख्या 2026/17/I/1075 से पहले, सभी दस्तावेज की श्रृंखला खो गई है/गुम हो गई है। यदि किसी व्यक्ति को यह दस्तावेज़ मिले तो कृपया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उत्तम नगर को सौंप दें। या यदि किसी व्यक्ति मालिकाना हक और/या उक्त संपत्ति के किसी भी हिस्से को एयू बैंक फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बंधक बनाने के संबंध में कोई दावा/आपत्ति है तो उनसे अनुरोध है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 7 दिनों के भीतर नीचे दिए गए उल्लेखित पते पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को लिखित रुप में सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्तियों के दावे को मुक्त और/या परित्यक्त माना जाएगा और हमारा मुवक्किल उक्त संपत्ति पर ऋण के संवितरण और उसके संबंध में इसे बंधक रखने की प्रक्रिया करेगा। For Juris NextGen Law Offices
E-56, LGF, Greater Kailash Enclave Part-1
New Delhi-110048

शुद्धि पत्र
राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली बेंच–II के समक्ष
कंपनी याचिका संख्या सीपी (सीएए) 60 / एनडी / 2026
सम्बद्ध
कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए)–36 / एनडी / 2026
समामेलन की समग्र योजना और व्यवस्था के मामले में
डीएच इम्पेक्स लिमिटेड और अन्य ....याचिकाकर्ता
और उनके संबंधित शेयरधारक तथा लेनदार

शुद्धि पत्र

उपर्युक्त मामले से संबंधित फॉर्म संख्या एनसीएलटी–3ए में सूचना ऑफ याचिक (याचिक का विवरण देने वाला विज्ञापन) जो 16.10.2026 को बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) और बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी) के नई दिल्ली संस्करणों में प्रकाशित हुआ था उसमें सूचना ऑफ याचिका की पहली पंक्ति में, "धारा 230–232" के ठीक बाद और "ऑफ द कंपनी अधिनियम, 2013" से पहले आने वाले शब्द "एण्ड 234" गलती से छप गए थे, जिन्हे अब हटा दिया जाएगा।

तदनुसार, उक्त पंक्ति को इस प्रकार पढ़ा जाएगा :
"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के अंतर्गत योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक याचिका...... "याचिका संबंधी उक्त सूचना की बाकी सभी बातें यथावत रहेंगी।

अनजाने में हुई इस गलती के लिए हमें खेद है, और यदि इसके कारण कोई असुविधा हुई हो, तो उसके लिए हम दिल से माफी चाहते हैं।

हस्ताक्षर / –
अविनाश कौर
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
14 / 15 एफ, मिडिल सर्कल, ब्लॉक एफ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली–110001,
मोबाइल : 9899199120
ईमेल : avinashkaurandco@gmail.com
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.10.2026

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती ज्योति की ओर से यह सूचित किया जाता है कि गांव सुथाना, तहसील बावल, जिला–रेवाड़ी, हरियाणा में स्थित खेवट संख्या 7, खतौनी संख्या 7, मुस्तकिल संख्या 19, किला संख्या 6 (8–7), 15 (8–0) में 2 कनाल 14 मरला और 5 सरसई, जमीन की मालिक हैं, श्रीमती गीता देवी द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख दिनांक 17.11.2022, दस्तावेज़ संख्या 2148, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 97 / 1779, पेज 66.25 / 67–69, दिनांक 17.11.2022 के माध्यम से है। इससे पहले श्रीमती गीता देवी ने इसे श्रीमती उषा देवी पत्नी बलदेव सिंह से बिक्री विलेख दिनांक 28.10.2021 दस्तावेज़ संख्या 3500 के तहत खरीदा था और श्रीमती उषा पत्नी बलदेव सिंह ने इसे श्रीमती उषा देवी पत्नी वेद प्रकाश और श्रीमती रेखा से बिक्री विलेख दिनांक 16.01.2014 दस्तावेज़ संख्या 2240 के तहत खरीदा था अब, श्रीमती ज्योति इस संपत्ति को प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक रखना चाहती है। यह कि, मूल बिक्री विलेख दिनांक 16.01.2014, दस्तावेज़ संख्या 2240 पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 62 / 1012, पेज 97 / 72–74, दिनांक 16.01.2014 (उप पंजीयक कार्यालय–बावल) है, जो गुम हो गई है / खो गई है / पता लगाने योग्य नहीं है। और उसी की खोई हुई प्राथमिकी को हरियाणा पुलिस नागरिक सेवाओं के ऑनलाइन पोर्टल पर पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन रेवाड़ी में आवेदन संख्या 132360352601929 के साथ दर्ज की गई है। इसलिए, बैंक / एनबीएफसी की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, हम यह सार्वजनिक सूचना देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा / अधिकार / स्वामित्व / हित / बंधक बनाने में कोई आपत्ति है तो वह आज से 07 दिनों के भीतर, अपनी आपत्तियों के बारे में नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में सूचित कर सकता है। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उक्त संपत्ति सभी प्रकार के भार, ग्रहणाधिकार आदि से मुक्त है। लुसेम लीगल एलएलपी
एन–161, भूतल, सायरा टावर, गौतम नगर, यूसुफ सराय
कम्युनिटी सेंटर के पास, नई दिल्ली–110049
संपर्क # 011-40046316 और 41667327

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020
Aavas SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
इन्द्रा सिरसिया, राकेश राकेश खाता सं. 201202901517576 व 211202902029041	6 जनवरी 2026 ₹ 2324156/- व ₹ 666189/- 5 जनवरी 2026	आवासीय अधूरा निर्मित फ्लेट पहली मंजिल सामने का हिस्सा एरिया 669 वर्ग फीट, प्लॉट नं. 299 की जमीन में हिस्सा एरिया क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, सेक्टर 30-33, रेक्ट नं. 14, किला नं. 08, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी पर स्थित, गांव इतमादपुर, तहसील व जिला फरीदाबाद, हरियाणा	सांकेतिक कब्जा दिनांक 16 अक्टूबर 2026

स्थान : दिल्ली — दिनांक : 22-10-2026 — प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

FEDBANK

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 1101, 11वीं मंजिल, सिग्नस, प्लॉट नंबर 71 ए, पवई, पासपोली, मुंबई - 400087

सरफेसी अधिनियम के तहत अचल संपत्ति की नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

मैसर्स फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत अचल प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की 30 दिन की सूचना दी जाती है। प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है। एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटरों को यह सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार, फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार, फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार के **राजा एंटरप्राइजेज (कर्जदार); जय कुमार (सह-कर्जदार); सरिता देवी (सह-कर्जदार) से 13/12/2025 तक ऋण खाता संख्या FEDDLHLAP0492330 में बकाया रु. 29,98,667/- (रुपये उनतीस लाख अट्ठानबे हजार छः सौ सड़सठ मात्र) की 14.12.2025 से ब्याज एवं व्यय सहित वसूली के लिए 01/12/2026 को सुबह 10 बजे से 10.30 बजे तक** ''जहां है जैसी है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

अचल संपत्ति का विवरण

गिरवी रखी गई संपत्ति, जिसका विवरण ई-34/ए-1, खसरा नंबर 1381/89 है और जिसका क्षेत्रफल 37.50 वर्ग गज है, जो मधु विहार एक्सटेंशन, गांव मंडावली फजलपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110092 की आबादी में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः दूसरों की संपत्ति, उत्तरः दूसरों की संपत्ति, दक्षिणः दूसरों की संपत्ति।

आरक्षित मूल्य (रु. में)	रु. 53,00,000/- (रुपए तिरेपन लाख मात्र)
डीडी/पीओ/आरटीजीएस के माध्यम से फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में जमा धरोहर राशि (रु. में)	रु. 5,30,000/- (रुपए पांच लाख तीस हजार मात्र)
बोली वृद्धि राशि	रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र)
ईएमडी सहित सीलबंद प्रस्ताव/निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान	30 नवंबर, 2026 को 05:00 बजे अप. तक - फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 2ए/8ए, प्रथम तल, रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015
संपत्तियों का निरीक्षण	23 नवंबर, 2026, 5 बजे अप. तक
पुष्टि किए गए सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृत उच्चतम बोली के 25% (ईएमडी सहित) के भुगतान की अंतिम तिथि	भुगतान बोली की पुष्टि की तिथि से अगले कार्यदिवस तक करना होगा
उच्चतम बोली के शेष 75% के भुगतान की अंतिम तिथि	बोली की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (फेडफिना) प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट यानी www.fedfina.com और नीलामी के तहत लिंक https://www.fedfina.com/public-notice-for-auction-cum-sale/ पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें। किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और प्रशिक्षण के लिए कृपया फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी से समन्वय करें- श्री दक्ष क्वात्रा - 9999499043, ई-मेल आईडी : **daksh.kwatra@fedfina.com**.
प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के संबंध में आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 22/10/2026 — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली — फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालय : एनबीडी हाऊस, गुलाब भवन, दुसरा तल, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
फोन: +91–011–66107107, 011–69223700, ई–मेलःdmi@housingfinance.in, U65923DL2011PTC216373

जबकि उल्लेखित उधारकर्ताओं/ सह–उधारकर्ताओं/ गारंटरों/ बंधककर्ताओं ने डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हमारे अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, उधारकर्ताओं/ सह–उधारकर्ताओं/ गारंटरों/ बंधककर्ताओं ने ब्याज और मूलधन की अदायगी में देय दिनांको पर चूक की है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों/ मार्गदर्शिकाओं के अनुसार, इस खाते को सम्बन्धित दिनांकों पर गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उन्हें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमो, 2002 की उपधारा 13(12) के नियम 3 के साथ पठित प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के तहत सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित संबंधित दिनांक को माँग सूचना जारी की थी, निम्नलिखित उधारकर्ताओं, गारंटरों /बंधककर्ताओं से सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान की निर्धारित दिनांक तक राशि और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि पर अनुबंध दर पर भविष्य के ब्याज के साथ सूचना में उल्लेखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/ गारंटर/ का नाम	बकाया राशि (रू.)	ऋण राशि (रू.)	ऋण खाता संख्या
1.	1. बाला हरस्वरूप 2. राजेंद्र सिंह 3.सुनील पटेल	रुपये 18,38,886/– (रुपये अट्ठारह लाख अड़तीस हजार आठ सौ छियासी मात्र)	रू.1398994 रू.374422	LOS2025050001570 LOS2025060002133
			सूचना दिनांक 19 अक्टूबर, 2026	एनपीए दिनांक 3 अक्टूबर, 2026

संपत्ति की अनुसूचीः संपत्ति वैध पताः खसरा सं. 149 ग्राम खड़वाई छाता जिला मथुरा उत्तर प्रदेश 281401 भारत (संपत्ति क्षेत्र 102.92 वर्ग मीटर) का सम्पूर्ण और सर्वांगीण भाग, सीमांकन निम्न प्रकार: उत्तर : 100 फुट बाधु सड़क रोसी मार्ग, दक्षिण : 100 फुट बाद दानदाता का हिस्सा, पूर्व : 110 फुट बाद दानदाता की भूमि, पश्चिम : 110 फुट बाद दानदाता की भूमि

कृपया ध्यान दें कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, कोई भी उधारकर्ता प्रत्याभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में उल्लेखित अपनी प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों में से किसी को बिक्री, पट्टा या अन्य के माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेगा।

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत 12 अक्टुबर, 2026 को जारी पूर्व मांग सचना को वापस लिया जाता है।

दिनांक : 22.10.2026 — प्रति एवं की ओर से
स्थान : मथुरा, उत्तर प्रदेश — डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक सूचना
जबकि नीचे वर्णित मामला,
नामतः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत मध्यस्थता याचिका,
माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है
(न्यायालयः अमित बोरकर जे.)
बॉम्बे उच्च न्यायालय
साधारण मूल दीवानी क्षेत्राधिकार में
वाणिज्यिक विवाचन याचिका संख्या 716 / 2025
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ...याचिकादाता

बनाम
मैसर्स वैष्णो आयरन स्क्रैप
श्री संतोष कुमार गुप्ता
सुश्री निशा देवी ....प्रतिवादीगण

सेवा में,
1. मैसर्स वैष्णो आयरन स्क्रैप
पताः 3 न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, जालंधर, पंजाब – 144009
ईमेलः skg.vaishnoironscrap@gmail.com
2. श्री संतोष कुमार गुप्ता
मैसर्स वैष्णो आयरन स्क्रैप के स्वामी पता मकान नंबर 120 / सी, गुलमर्ग कॉलोनी, लंबा पिंडचौक, गली नंबर 3, रेरू, बैकसाइड चारा मंडी, नई दिल्ली, जालंधर, दिल्ली 144012
3. श्रीमती निशा देवी (सह–कर्जदार)
पता मकान नंबर 120 / सी, गुलमर्ग कॉलोनी, लंबा पिंडचौक, गली नंबर 3, रेरू, बैकसाइड चारा मंडी, नई दिल्ली, जालंधर, दिल्ली –144012 है ....प्रतिवादीगण

और जबकि, तत्र भवान ने आदेश दिनांकित 15–10–2026 द्वारा, प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से प्रतिवादी (प्रतिवादीगण) को समाचारपत्र प्रकाशन सेवा जारी करने का अनुग्रह किया है।

तदनुसार, एतद्द्वारा **प्रतिवादी संख्या 1,2 और 3** को उपरोक्त आदेश पर ध्यान देने और उपरोक्त मामले में **माननीय न्यायमूर्ति अमित बोरकर जे.** के समक्ष **30 अक्टूबर, 2026** को तथा अथवा उसके बाद जब भी मामला इस मामले की सुनवाई कर रहे माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हो, या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता जो मूल पक्ष, उच्च न्यायालय, बॉम्बे में अभ्यास करने के हकदार हैं, के माध्यम से, पेश होने / उपस्थित होने की मांग की जाती है।

प्रतिवादी (प्रतिवादीगण) को एतद्द्वारा कार्यवाही और **आदेश दिनांकित 1 अक्टूबर, 2026 से मिली अति–अंतरिम राहत** पर ध्यान देने की मांग की जाती है, जिसके तहत **प्रतिवादी (प्रतिवादीगण) को शपथ लेकर अपने सभी बैंक खाते और सभी चल और अचल संपत्ति और आस्तियों की जानकारी, साथ ही उन पर किसी भी तरह के ऋणभार की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।** कृपया ध्यान दें कि यदि आपकी ओर से कोई स्वयं आकर या आपके द्वारा सम्यक् प्राधिकृत और अनुदेशित उच्च न्यायालय, बॉम्बे का अधिवक्ता पेश नहीं होता है, तो उपरोक्त मामले की सुनवाई और निर्णय, आपको और कोई सूचना दिए बिना, आपकी अनुपस्थिति में किया जा सकता है।

आदेश दिनांकित 15 अक्टूबर, 2026 के क्रम और अनुपालन में।

दिनांक : 22–10–2026
स्थान : जालंधर और दिल्ली
याचिकादाता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना
जबकि नीचे वर्णित मामला,
नामतः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत मध्यस्थता याचिका,
माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है
(न्यायालयः अमित बोरकर जे.)
बॉम्बे उच्च न्यायालय
साधारण मूल दीवानी क्षेत्राधिकार में
वाणिज्यिक विवाचन याचिका संख्या 813 / 2025
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ...याचिकादाता

बनाम
मैसर्स तिरुपति इंटरनेशनल
श्री श्रेय जैन
श्रीमती स्वीटी जैन ... प्रतिवादीगण

सेवा में,
1. **मैसर्स तिरुपति इंटरनेशनल, पताः** 8वां तल, ऑफिस नंबर 814, बेस्ट स्काई टावर, पीतमपुरा, नेताजी सुभाष प्लेस – 110034.
ईमेलः jainshrey1008@gmail.com
2. **श्री श्रेय जैन, मैसर्स तिरुपति इंटरनेशनल के स्वामी**
पताः 289 / 2 पुरानी अनाज मंडी, वार्ड 3, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा–131301
3. **श्रीमती स्वीटी जैन सह–कर्जदार**
पताः 289 / 2 पुरानी अनाज मंडी, वार्ड 3, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा–131301 ....प्रतिवादीगण

और जबकि, तत्र भवान ने आदेश दिनांकित 15–10–2026 द्वारा, प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से प्रतिवादी (प्रतिवादीगण) को समाचारपत्र प्रकाशन सेवा जारी करने का अनुग्रह किया है।

तदनुसार, एतद्द्वारा **प्रतिवादी संख्या 1,2 और 3** को उपरोक्त आदेश पर ध्यान देने और उपरोक्त मामले में **माननीय न्यायमूर्ति अमित बोरकर जे.** के समक्ष **30 अक्टूबर, 2026** को तथा अथवा उसके बाद जब भी मामला इस मामले की सुनवाई कर रहे माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हो, या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता जो मूल पक्ष, उच्च न्यायालय, बॉम्बे में अभ्यास करने के हकदार हैं, के माध्यम से, पेश होने / उपस्थित होने की मांग की जाती है।

प्रतिवादी (प्रतिवादीगण) को एतद्द्वारा कार्यवाही और **आदेश दिनांकित 1 अक्टूबर, 2026 से मिली अति–अंतरिम राहत** पर ध्यान देने की मांग की जाती है, जिसके तहत **प्रतिवादी (प्रतिवादीगण) को शपथ लेकर अपने सभी बैंक खाते और सभी चल और अचल संपत्ति और आस्तियों की जानकारी, साथ ही उन पर किसी भी तरह के ऋणभार की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।** कृपया ध्यान दें कि यदि आपकी ओर से कोई स्वयं आकर या आपके द्वारा सम्यक् प्राधिकृत और अनुदेशित उच्च न्यायालय, बॉम्बे का अधिवक्ता पेश नहीं होता है, तो उपरोक्त मामले की सुनवाई और निर्णय, आपको और कोई सूचना दिए बिना, आपकी अनुपस्थिति में किया जा सकता है।

आदेश दिनांकित 15 अक्टूबर, 2026 के क्रम और अनुपालन में।

दिनांक : 22–10–2026
सीन : सोनीपत
याचिकादाता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

पीरामल फाइनेंस लिमिटेड

Piramal Finance
(पूर्व में पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
(जिसे यहां बाद में पीएफएल/प्रत्याभूत ऋणदाता कहा गया है) CIN: L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 601, छठवीं मंजिल, पीरामल अमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्ता कॉरपोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस नगर, कुर्ला (वेस्ट), मुम्बई-400070
शाखा कार्यालयः कार्यालय सं. 211 एवं 212, दूसरी मंजिल "टाइटेनियम" शालीमार कॉरपोरेट पार्क, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट-IV के अनुसार अचल सम्पत्ति के लिए

चूंकि, **पीरामल फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व में पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (जिसे यहां बाद में पीएफएल/प्रत्याभूत ऋणदाता कहा गया है) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लेखित कर्जदारों/गारंटरों को मांग सूचनाएं जारी की गई थी, जिसमें उन्हें कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित रकम चुकता करने को कहा गया था। कर्जदार द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल होने के कारण एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेषकर कर्जदार तथा आम तौर पर सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा यहां नीचे उल्लिखित रकम के साथ उस पर ब्याज की रकम के लिए पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (जिसे यहां बाद में पीएफएल/प्रत्याभूत ऋणदाता कहा गया है) के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	कर्जदारों एवं गारंटरों का नाम	प्रत्याभूत सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तारीख एवं रकम	कब्जा की तारीख
1.	(रुड़की शाखा की एलसी सं. HLSA0004C2B0) फैजल अहमत (कर्जदार) नजीमुनिशाह (सह-कर्जदार 1)	मोहल्ला खानालमपुरा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247001 में खसरा सं. 63, खेवट सं. 2, महल तथा पुराना मकान सं. 3/428/1 एवं नया मकान सं. 3/514 वाली संपत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण भाग। सीमाएँ निम्नलिखित हैः उत्तरः- 11 फुट चौड़ा रास्ता/13.5 फुट, पश्चिमः- देशराज का मकान, पूर्वः- महेश चंद का मकान, दक्षिणः- अन्य व्यक्ति का मकान।	दिः 30.06.2026/रु. 38,29,473/- (रुपये अड़तीस लाख उनतीस हजार चार सौ तिहत्तर मात्र)	16-10-2026
2.	(सहारनपुर शाखा की एलसी सं. HLSA00006105 एवं HLSA00006105TU) अतुल शर्मा (कर्जदार) मनोज शर्मा (सह-कर्जदार 1) दीपिका शर्मा (सह-कर्जदार 2)	ग्राम पंजोरा बरून, परगना, तहसील एवं जिला सहारनपुर, दार आबादी मदन एन्क्लेव कॉलोनी, सहारनपुर - 247001 में स्थित खसरा सं. 256 मिन, प्लॉट सं. 41 वाली सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण भाग।	दिः 30.01.2024/रु. 14,62,220/- (रुपये चौदह लाख बासठ हजार दो सौ बीस मात्र) एवं दि. 03.01.2024/ रु. 12,55,509/- (रुपये बारह लाख पचपन हजार पांच सौ नौ मात्र)	16-10-2026

तारीखः 22 अक्टूबर, 2026, स्थानः सहारनपुर — हस्ता/- (अधिकृत अधिकारी), पीरामल फाइनेंस लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072
सहारनपुर शाखाः शॉप नंबर 21, दूसरी मंजिल, एमपीएल नंबर 2 / 1377, पार्श्वनाथ प्लाजा, कोर्ट रोड सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ / प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ता राशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ) / प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं	ऋणकर्ता(ओ) / प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02800000805 / सहारनपुर शाखा) राजेश कुमार (ऋणी) पूनम देवी (सह-ऋणी) अमित कुमार (जमानतदार)	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, प्लॉट का क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, शिव विहार कॉलोनी, परगना, तहसील एवं जिला सहारनपुर, उ.प्र., **चतुर्सीमाएँ:** पूर्वः 23 फीट 3 इंच, उसके बाद 18 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः 23 फीट 3 इंच, उसके बाद अज्ञात व्यक्ति की सम्पत्ति, उत्तरः 39 फीट 6 इंच, उसके बाद प्लॉट नंबर 67 एवं 68 का भाग, दक्षिणः 38 फीट, उसके बाद प्लॉट नंबर 68 का भाग	07-07-2026 & ₹ 3,12,148/-	19-10-2026

स्थान : उत्तर प्रदेश — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 22-10-2026 — आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

CFM thoughtful regeneration
कॉरपोरेट कार्यालयः पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई-400001

कब्जा सूचना
परिशिष्ट IV — (अचल सम्पत्ति के लिए) — नियम 8(1) के साथ पठित

चूंकि, सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-214 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के अधीन तथा धारा 13(12), 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के तहत मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित रकम चुकता करने को कहा गया था। आगे, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 5 के प्रावधानों के अधीन **सेव फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड** एवं सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 10-02-2026 के पंजीकृत हस्तांतरण अनुबंध के मार्फत **सेव फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड** ने ऊपर उल्लेखित ऋण खाते की सम्पूर्ण बकाया रकम के सभी अधिकारों, स्वामित्व तथा हित के साथ अंतर्निहित प्रतिभूतियों को सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया है।

कर्जदारों द्वारा कथित रकम का चुकता करने में असफल होने के कारण एतद्द्वारा कर्जदारों तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित कथित नियमों के नियम 8 के अधीन "कब्जा की तारीख" कॉलम में नीचे उल्लेखित तारीख को यहां निम्नलिखित सम्पत्ति पर **प्रतीकात्मक कब्जा** कर लिया है। संबंधित पक्षों के ब्यौरा के साथ सीएफएमएआरसी द्वारा गिरवी रखी गई सम्पत्ति पर कब्जा का विवरण नीचे उल्लेखित है:-

ग्राहक (कर्जदार(ों)/सह-कर्जदार(ों) तथा गारंटर(ों)/ साझेदारों/गिरवीदाता(ओं) का नाम	मांग सूचना की तारीख एवं रकम रु. में	कब्जा की तारीख
लोकेश बत्रा (कर्जदार), **ललिता देवी** (सह-कर्जदार), **ऋण खाता सं.: LOANAGUR0000001**	मांग सूचना की तारीखः **03-06-2026, रु. 88,66,964/-** (रुपये अट्ठासी लाख छियासठ हजार नौ सौ चौसठ मात्र) दिनांक 26-03-2026 की स्थिति के अनुसार	17-10-2026
गिरवी रखी गई सम्पत्तिः पॉकेट-15, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित 32 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की संपत्ति सं. 97। सीमाएँः उत्तर-प्लॉट सं. 96, दक्षिण-प्लॉट सं. 98, पूर्व-प्रवेश मार्ग, पश्चिम-प्लॉट सं. 56।		
जमशेद आलम (कर्जदार), **अंजूम** (सह-कर्जदार), **ऋण खाता सं.: LOANAGUR0000040**	मांग सूचना की तारीखः **03-06-2026, रु. 63,66,744/-** (रुपये तिरसठ लाख छियासठ हजार सात सौ चौवालीस मात्र) दिनांक 26-03-2026 की स्थिति के अनुसार	19-10-2026
गिरवी रखी गई सम्पत्तिः यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली 110053 में स्थित संपत्ति सं. सी-12/336 की प्रथम मंजिल पर 70 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सम्पत्ति। सीमाएँः उत्तर-सर्विस लेन, दक्षिण-5 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व-अन्य व्यक्तियों की संपत्ति, पश्चिम-सर्विस लेन।		

विशेष तौर पर ऊपर उल्लेखित कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा इस सूचना में उल्लेखित रकम के साथ यहां ऊपर किए गए विवरण में दर्शाई गई बकाया रकम की तिथि की स्थिति की ठीक अगली तारीख से सम्पूर्ण भुगतान तथा/अथवा वसूली की तारीख तक अनुबंधकीय दर पर ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत एवं शुल्कों इत्यादि की रकम के लिए **सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा। आगे प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

कृपया ध्यान दें सम्पत्ति का विवरण यहां ऊपर उल्लेखित है।

दिनांक : 22.10.2026 — अधिकृत अधिकारी, सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
स्थान : दिल्ली — (सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-214 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

JM Financial
निगमित पहचान संख्याः यू67190एमएच2007पीएलसी74287
पंजीकृत कार्यालय पताः 7वां तल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठी मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025,
दूरभाषः +91 22 6630 3030, फैक्सः 911 22 6630 3223 www.jmfinancialarc.com

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत। पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जेएमएफएआरसी (जेएम) (यहां इसमें इसके पश्चात् एसाइनी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में एक एसाइमेंट अनुबंध दिनांकित 29 मार्च 2023 ("एसाइमेंट अनुबंध") के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफॉएसि अधिनियम") की धारा 5(1) (बी) के अंतर्गत ऋण पर समस्त अधिकारों, स्वामित्व एवं ब्याज के साथ उसके लिये सृजित रेखांकनकारी प्रतिभूति हित सहित उसको अर्थात् ऋण (निम्न उल्लिखित ऋणों सहित) को सौंप चुके हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे (जेएम) एसाइनी के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनायें निर्गत की हैं, जिनमें निम्नलिखित ऋणधारक(कों) ("उक्त ऋणधारक(कों)") को उन्हें निर्गत तथा नीचे तालिका में भी प्रस्तुत संबंधित मांग सूचना(ओं) में अंकित धनराशियों का प्रतिभुगतान करने के लिये कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में एतद्द्वारा एक बार पुनः उक्त ऋणधारक(कों) को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर, उक्त ऋणधारक(कों) द्वारा निष्पादित अन्य प्रलेखों/विलेखों, यदि कोई, के साथ पठित ऋणानुबंध के अंतर्गत भुगतानयोग्य, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकित धनराशियों का, निम्न तालिका में अंकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक उक्त मांग सूचना(ओं) में विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ जेएम को भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में ऋणधारक(कों) द्वारा जेएम के पास क्रमशः निम्नलिखित परिसंपत्तियों को बंधककृत रखा गया है।

ऋणधारक(कों)/गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि तथा एनपीए तिथि के साथ राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
(दिल्ली- पीतमपुरा शाखा का एलसी नं. 13300001110) दुर्वेश त्यागी (उधारकर्ता) ममता (सह-उधारकर्ता 1)	दिनांकः 21-09-2026/रु. 112,51,800/- (एक करोड़ बारह लाख इक्यावन हज़ार आठ सौ रुपये मात्र) एनपीए (10-07-2021)	प्लॉट नंबर - 08 ब्लॉक बी 3 सोनी पाम सिटी सेक्टर 32-32ए गांव भूड़ा खेड़ा करनाल करनाल हरियाणाः- 132001 सीमाएं इस प्रकारः- पूर्व :- प्लॉट नंबर 09, पश्चिमः- प्लॉट नंबर 07, उत्तर : - सड़क, दक्षिणः- प्लॉट नंबर 13
(नोएडा- सेक्टर 2 शाखा का एलसी नं. 27900002029) जानकी बल्लभ सोनी (उधारकर्ता)	दिनांकः 21-09-2026/रु. 74,51,780/- (चौहत्तर लाख इक्यावन हज़ार सात सौ अस्सी रुपये मात्र) एनपीए (11-03-2021)	प्लॉट नंबर सी-6-07- सोनी पाम सिटी सेक्टर 33/32 ए बुड्ढा खेड़ा गांव जीटी रोड करनाल करनाल हरियाणाः- 132001
(गुरुग्राम- एमजी रोड शाखा का एलसी नं. 19600044122) दीपक कुमार (उधारकर्ता) पूजा (सह-उधारकर्ता 1)	दिनांकः 19-08-2026/रु. 18,59,376/- (अठारह लाख उनसठ हज़ार तीन सौ छिहत्तर रुपये मात्र) एनपीए (09-07-2023)	प्लॉट नंबर 149-ए, ख. नंबर 361 कृष्णा कुंज, ग्राम-सद्दीकनगर, कृष्णा कुंज, ग्राम-सद्दीकनगर, लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001
(गुरुग्राम- एमजी रोड शाखा का एलसी नं. 19600043877) उधारकर्ता स्वर्गीय संगीता प्रदीप और सह-उधारकर्ता स्वर्गीय प्रदीप कुमार के कानूनी प्रतिनिधि/वारिस	दिनांकः 11-09-2026/रु. 65,47,094/- (रु. पैंसठ लाख सैंतालीस हज़ार चौरानवे मात्र) एनपीए (09-10-2019)	प्लॉट नंबर 49, खसरा नंबर 12, न्यू शताब्दी पुरम, गोविंद पुरम, डासना परगना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001

यदि उपर्युक्त ऋणधारकगण उपर्युक्तानुसार जेएम को भुगतान करने में विफल रहेंगे तो जेएम लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त ऋणधारकों के समग्र जोखिमों पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उक्त ऋणधारकों पर अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि वे जेएम की पूर्व लिखित सहमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा उपर्युक्त परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिये उकसाता है, वह अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थ दंड हेतु उत्तरदायी होगा।

दिनांकः 22-10-2026 — हस्ताक्षरकर्ता /- (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर — जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

More Newspapers and Magazines telegram group join Search https://t.me/NewsTG8 (NewsTG8) ya Whatsapp ya telegram message this Number 8890050582